



The Uttaranchal Public Library Act, 2005

Act 19 of 2005

Keyword(s):
Library Fee, Public Library

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 26 अप्रैल, 2005 ई०
वैशाख 06, 1927 शक सम्बत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 490/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005

देहरादून, 26 अप्रैल, 2005

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल लोक पुस्तकालय विधेयक, 2005 पर श्री राज्यपाल ने दिनांक 23-04-2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 19, सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल लोक पुस्तकालय अधिनियम, 2005

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 19, वर्ष 2005)

उत्तरांचल लोक पुस्तकालयों की स्थापना तथा सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था के लिए

अधिनियम

उत्तरांचल राज्य विधानसभा द्वारा भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है:-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार
एवं प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल लोक पुस्तकालय अधिनियम, 2005 कहलायेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।
- (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में—

(क) "मान्यता प्राप्त पुस्तकालय" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली के अनुसार राज्य सरकार अथवा निदेशक से मान्यताप्राप्त घोषित ऐसे पुस्तकालय से है, जो जन सामान्य के लिए हो;

(ख) "समिति" का तात्पर्य राज्य पुस्तकालय समिति से है;

(ग) "निदेशक" का तात्पर्य शिक्षा निदेशक से है;

(घ) "जनपद" का तात्पर्य राजस्व जनपद से है;

(च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य सरकार से है;

(छ) "पुस्तकालय उपकर" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से है;

(ज) "अधिसूचना" का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार के गजट में प्रकाशित अधिसूचना से है;

(झ) "विहित" का तात्पर्य अधिनियम के अधीन विहित नियमों एवं प्रक्रियाओं से है;

(ट) "लोक पुस्तकालय" का तात्पर्य—

(एक) जिला पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित पुस्तकालय से है, जिसमें उसकी शाखाएं तथा पुस्तकों के वितरण केन्द्र का स्थान भी है और जिसे जनता के उपयोगार्थ खुला घोषित किया गया है,

(दो) सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित पुस्तकालय से है, जिसे लोक पुस्तकालय घोषित किया गया हो,

(तीन) स्थानीय निकाय अथवा सहकारी समिति द्वारा स्थापित तथा अनुरक्षित पुस्तकालय से है, जिसे लोक पुस्तकालय घोषित किया गया हो,

(चार) ऐसे पुस्तकालय से है, जिसे राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करने के लिए अर्ह घोषित किया गया है और जिस को राज्य सरकार अथवा पुस्तकालय निधि से किसी भी प्रकार की वित्तीय और पुस्तकों की सहायता मिल रही हो, इसमें इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा घोषित लोक पुस्तकालय भी सम्मिलित है;

(प) "राज्य" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है;

(ड) "राजकीय केन्द्रीय पुस्तकालय" का तात्पर्य ऐसे पुस्तकालय से है जिसे राज्य सरकार द्वारा राजकीय केन्द्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया हो;

(ढ) "वर्ष" का तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है।

अध्याय-2

राज्य पुस्तकालय समिति

3. (1) इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक राज्य पुस्तकालय समिति का गठन करेगी, जो राज्य पुस्तकालय समिति कहलायेगी।

राज्य पुस्तकालय समिति का गठन और संरचना तथा उसके कार्य

(2) समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

- | | |
|---|---------------|
| (क) शिक्षा मंत्री | पदेन अध्यक्ष; |
| (ख) प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा उत्तरांचल | उपाध्यक्ष; |
| (ग) सचिव, नियोजन, उत्तरांचल; | |
| (घ) सचिव, पंचायती राज एवं सहकारिता, उत्तरांचल; | |
| (ङ) सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल; | |
| (च) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तरांचल; | |
| (छ) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल; | |
| (ज) राज्य स्तरीय पुस्तकालयाध्यक्ष; | |
| (झ) चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा नामित राज्य के विश्वविद्यालयों का एक प्रतिनिधि अथवा कुलपति स्वयं; | |
| (त) राज्य स्तरीय पुस्तकालय के सबसे पहले नामांकित पाठक सदस्यों में से एक सदस्य; | |
| (थ) राज्य के पुस्तकालयों से सम्बन्धित विषयों का विशेष ज्ञान रखने वाले दो नामित सदस्य; | |
| (द) राज्य सरकार द्वारा नामित चक्रानुक्रम में दो जिला पुस्तकालयाध्यक्ष; | |
| (ध) राजा राम मोहन राय पुस्तकालय द्वारा नामित एक व्यक्ति; | |
| (न) निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरांचल | सदस्य-सचिव। |

(3) समिति सरकार को इस अधिनियम के अधीन उत्पन्न समस्त प्रकरणों पर परामर्श देगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन करेगी, जो इस अधिनियम के अधीन विहित किये जायें।

4. धारा 3 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन समिति के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त समिति का प्रत्येक सदस्य अपने निर्वाचन अथवा नामित होने यथास्थिति, की तिथि से तीन वर्ष के लिए पदधारण करेंगे:

समिति के कतिपय सदस्यों का कार्यकाल

परन्तु, समिति के नामित या निर्वाचित सदस्यों की यह पदावधि उनकी उस निकाय की सदस्यता समाप्त होने के तुरन्त बाद समाप्त हो जायेगी, जिसके द्वारा वह नामित या निर्वाचित किये गये थे:

परन्तु अग्रेतर यह कि ऐसा सदस्य जो इस अधिनियम के आरम्भ होने की तिथि को पदासीन हो, अपने नाम निर्देशन, निर्वाचन अथवा सहयोजन की, जैसी भी स्थिति हो, तिथि से तीन वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा।

5. यदि समिति के नामित, निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कोई स्थान रिक्त होता है तो वह अन्य व्यक्ति के नामांकन अथवा निर्वाचन द्वारा जैसी भी स्थिति हो, धारा 3 में उपबन्धित रीति के अनुसार भरा जायेगा और समिति का ऐसा नामित अथवा निर्वाचित सदस्य पूर्ववर्ती सदस्य के अवशेष कार्यकाल तक पद धारण करेगा।

समिति के कतिपय सदस्यों की आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

6. समिति की बैठक वर्ष में दो बार होगी, परन्तु यदि आवश्यक समझा जाये तो कमी भी बैठक आहूत की जा सकती है।

समिति की बैठकें

औपचारिकताओं
आदि के कारण
राज्य पुस्तकालय
समिति द्वारा किये
गये कार्य का
अविधिमान्य न
होना

7. राज्य पुस्तकालय समिति का कोई कार्य मात्र समिति में किसी रिक्ति के होने अथवा समिति के गठन के त्रुटिपूर्ण होने के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा।

अध्याय-3

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत लोक पुस्तकालय प्रकोष्ठ/विभाग

शिक्षा विभाग में
लोक पुस्तकालय
प्रकोष्ठ/विभाग का
गठन

8. इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सरकार शिक्षा निदेशालय में एक प्रकोष्ठ की स्थापना करेगी। निदेशक, विद्यालयी शिक्षा की संस्तुति के आधार पर शासन निदेशालय में उपलब्ध पदों में से संयुक्त निदेशक/उप निदेशक की नियुक्ति की जायेगी जिसे विशेष कार्य अधिकारी पुस्तकालय कहा जायेगा, जो निदेशक को अपने निम्नलिखित कर्तव्यों के निष्पादन में सहयोग करेगा:-

- (क) राजकीय केन्द्रीय पुस्तकालय तथा उसकी शाखाओं का पर्यवेक्षण;
- (ख) लोक पुस्तकालयों से सम्बन्धित सभी मामलों का अधीक्षण एवं निर्देशन;
- (ग) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार घोषित करना कि कौन से पुस्तकालय राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे और ऐसे पुस्तकालयों से सम्बन्धित समस्त मामलों का पर्यवेक्षण एवं निर्देशन;
- (घ) इस अधिनियम के अधीन विहित रीति के अनुसार समस्त जिला पुस्तकालय प्राधिकरणों के कार्यों का निर्देशन और नियंत्रण;
- (च) इस अधिनियम के अधीन पुस्तकालयों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में राज्य सरकार/राज्य पुस्तकालय समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में सहयोग प्रदान करना;
- (छ) आवश्यकतानुसार पुस्तकालयों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण;
- (ज) राज्य के सम्बन्ध में अथवा राज्य में प्रकाशित किसी भाषा की समस्त पुस्तकों की ग्रन्थसूची का वार्षिक प्रकाशन;
- (झ) इस अधिनियम द्वारा उसको प्रदत्त एवं अधिरोपित कर्तव्यों का पालन एवं ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग;
- (ट) केन्द्रीयकृत वर्गीकरण का सूचीकरण अन्तर्पुस्तकालय ऋण की व्यवस्था एवं पुस्तकों के चयन में समन्वय तथा प्रतिलिप्याधिकार रजिस्ट्री का अनुरक्षण करना;
- (ठ) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार निदेशक, विद्यालयी शिक्षा को जिला पुस्तकालय प्राधिकरण के कार्यालय जिला पुस्तकालय प्राधिकरणों द्वारा स्थापित और अनुरक्षित लोक पुस्तकालयों में अपेक्षित पदों का सृजन और उन पर नियुक्ति करना।

जिला पुस्तकालय प्राधिकरण

जिला पुस्तकालय
प्राधिकरण का
गठन एवं निगमन

9. (1) लोक पुस्तकालयों के गठन एवं प्रशासन हेतु राज्य के प्रत्येक जनपद में सम्बन्धित जनपद के नाम से एक जिला पुस्तकालय प्राधिकरण गठित किया जायेगा।

(2) प्रत्येक जिला पुस्तकालय प्राधिकरण उस क्षेत्र के नाम से, जिसके लिए यह गठित किया गया है, निगमित निकाय शाश्वत उत्तराधिकार वाला निकाय होगा और उसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा उसे किसी सम्पत्ति के अर्जन, धारण तथा निस्तारण एवं संचालन करने की शक्ति होगी और उरी नाम से या उसके विरुद्ध वाद योजित किया जा सकेगा।

(3) प्रत्येक जिला पुस्तकालय प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने क्षेत्राधिकार में पुस्तकालय सुविधा इस प्रकार उपलब्ध कराये कि अधिनियम की अधिनियमिति के पश्चात् यथाशीघ्र प्रत्येक विकास खण्ड में एक विकास खण्ड पुस्तकालय, प्रत्येक नगरपालिका/कस्बे में एक नगर पुस्तकालय और प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक ग्राम पुस्तकालय चरणबद्ध योजना बनाकर स्थापित किया जाय।

10. प्रत्येक जनपद में जिला पुस्तकालय प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

जिला पुस्तकालय प्राधिकरण की संरचना

- (क) जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष;
- (ख) कोषाधिकारी सदस्य;
- (ग) जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य-सचिव;
- (घ) राज्य पुस्तकालय समिति द्वारा नामित राजकीय महाविद्यालय अथवा स्नातकोत्तर महाविद्यालय से एक और राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय माध्यमिक विद्यालय के एक प्रधानाचार्य, सन्वित विभाग द्वारा नामित किये जायेंगे;
- (च) राज्य सरकार द्वारा नामित शिक्षा/लोक पुस्तकालय के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दो व्यक्ति;
- (छ) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के प्रमुख/नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष/नगर पंचायत के अध्यक्ष;
- (ज) जिला पुस्तकालय के पाठक सदस्यों में से एक;
- (झ) जिला केन्द्रीय पुस्तकालय का पुस्तकालयाध्यक्ष;
- (ट) जनपद के विश्वविद्यालय/सम (डीम्ड) विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष, यदि कोई हो;
- (ठ) सूचना विभाग तथा न्यायिक सेवा के एक-एक सदस्य अथवा बार एसोसिएशन द्वारा नामित एक सदस्य।

11. (1) जिला पुस्तकालय प्राधिकरण का प्रत्येक सदस्य, जो जिला पुस्तकालय का पुस्तकालयाध्यक्ष न हो, नाम निर्देशन अथवा निर्वाचन, जैसी भी स्थिति हो, की तिथि से तीन वर्ष तक पद धारण करेगा।

जिला पुस्तकालय प्राधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल

(2) नामित अथवा निर्वाचित सदस्य जिला पुस्तकालय प्राधिकरण के रूप में सदस्य होंगे:

परन्तु ऐसा कोई सदस्य यदि अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि को पदधारक है, तो वह नाम निर्देशन अथवा निर्वाचन, जैसी भी स्थिति हो, की तिथि से तीन वर्षों तक पद धारण करेगा।

12. (1) कोई व्यक्ति जिला पुस्तकालय प्राधिकरण का सदस्य चुने जाने और सदस्यता के लिए अनर्ह होगा, यदि वह-

जिला पुस्तकालय प्राधिकरण का सदस्य चुने जाने या होने के लिए अनर्हता

(क) फौजदारी अदालत द्वारा नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए कुरावास की सजा दी गयी है या सजा पाया हो, ऐसी सजा न्यायालय द्वारा प्रतिवर्तित न की गयी हो अथवा उसका अपराध क्षमा न कर दिया गया हो और ऐसी सजा की समाप्ति की तिथि से पांच वर्ष की अवधि व्यतीत न हुई हो:

परन्तु राज्य सरकार ऐसे दण्ड को अयोग्यता न माने जाने के निर्देश दे सकती है, यदि वह-

(ख) विकृतवित्त हो और उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो;

(ग) किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो अथवा अनुन्मुक्त दिवालिया हो;

(घ) बिना किसी ऐसे कारण से जो जिला पुस्तकालय प्राधिकरण की राय में उसे दोषमुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है।

(2) यदि किसी व्यक्ति की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो सचिव इस विषय में ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में तुरन्त सूचित करेगा और जिला पुस्तकालय प्राधिकरण को उसकी आगामी बैठक में उसकी सूचना देगा। यदि ऐसा सदस्य प्राधिकरण की आगामी बैठक की तिथि से पूर्व अपनी सदस्यता समाप्ति की सूचना प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर प्राप्त अपनी सदस्यता के पुनर्स्थापन हेतु आवेदन करता है तो जिला पुस्तकालय प्राधिकरण आगामी बैठक में आवेदन प्राप्त होने पर अथवा स्तवः उसकी सदस्यता पुनर्स्थापित कर सकता है। परन्तु ऐसे सदस्य को उसके कार्यकाल में दो से अधिक बार इस प्रकार पुनर्स्थापित नहीं किया जायेगा।

जिला पुस्तकालय प्राधिकरण के सदस्यों के आकस्मिक रिक्त पदों का भरा जाना

13. जिला पुस्तकालय प्राधिकरण में किसी नामित अथवा निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व स्थान रिक्त होने पर उसे धारा 10 में उपबन्धित रीति के अनुसार अन्य व्यक्ति के नाम निर्देशन अथवा निर्वाचन, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा भरा जायेगा और ऐसा नाम निर्दिष्ट अथवा निर्वाचित व्यक्ति पूर्ववर्ती सदस्य की अवशेष अवधि के लिए पद धारण करेगा।

जिला पुस्तकालय प्राधिकरण की शक्तियां एवं कार्य

14. जिला पुस्तकालय प्राधिकरण—

(क) लोक पुस्तकालयों के लिए भूमि व भवनों की व्यवस्था तथा उनके लिए आवश्यक सामग्री, फर्नीचर, फिटिंग तथा अन्य सुविधाओं आदि की भी व्यवस्था हेतु प्रस्ताव तैयार करना;

(ख) उपलब्ध संसाधनों से ऐसे पुस्तकालयों में पुस्तकें, नियतकालिक पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पाण्डुलिपियां, मानचित्र, कला-विज्ञान सम्बन्धी कार्य व नमूने, प्रकाश स्लाइड, फिल्म, चलचित्र प्रोजेक्टर, रिकार्ड, सीडी0, आर ओ एस, दृश्य श्रव्य सामग्री, आंकिक (डिजिटल) प्रलेख तथा इसी प्रकार की सामग्री जुटाना, अथवा राज्य पुस्तकालय समिति को प्रस्ताव/मांग प्रस्तुत करना. :

परन्तु, पुस्तकालय में रखी जाने वाली पुस्तकें सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित पुस्तकों की सूची से चुनी जायेंगी। पुस्तकों के चयन के लिए राज्य एवं जनपद स्तर पर सरकार के पूर्वानुमोदन से चयन समिति गठित की जायेगी।

जिला पुस्तकालय प्राधिकरण ऐसी पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों को भी, जो समय-समय पर सरकार द्वारा अथवा सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की जायें, रखेगी, जिनका कुल मूल्य इस खण्ड के प्रयोजन हेतु प्राधिकरण के आय-व्ययक में किये गये प्राविधान के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

(ग) निदेशक की पूर्व अनुमति से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपखण्ड (क) में उल्लिखित किसी लोक पुस्तकालय को अन्यत्र स्थानान्तरित या बन्द किया जा सकता है अथवा किसी अन्य ऐसे लोक पुस्तकालय की सहायता समाप्त की जा सकती है, जिसे इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विनियमित किया जा रहा है;

(घ) जिला पुस्तकालय प्राधिकरण अपने क्रियाकलापों से सम्बन्धित प्रयोजन हेतु उपहार अथवा दान स्वीकार कर सकती है, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपहार अथवा अचल सम्पत्ति के रूप में दान सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना स्वीकार नहीं किये जा सकेंगे, और उनका उपयोग उसी पुस्तकालय हेतु किया जायेगा;

(च) समसामयिक एवं जनोपयोगी विषयों पर व्याख्यानो का आयोजन;

(छ) प्रबन्ध तन्त्र की सहमति और सरकार अथवा सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से किसी पुस्तकालय का, ऐसी शर्तों पर, जिन्हें सरकार अथवा सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाय, अधिग्रहण;

(ज) लोक पुस्तकालय तथा साक्षरता सम्बन्धी कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान करना;

(झ) साधारणतः इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रयोजनों की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।

15. (1) जिला पुस्तकालय प्राधिकरण के गठन के पश्चात् यथाशीघ्र तथा इसके पश्चात् उत्तनी बार, जैसा निदेशक द्वारा अपेक्षित हो, प्रत्येक जिला पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा जब भी ऐसा करना आवश्यक समझा जाय, अपने क्षेत्र में पुस्तकालयों की स्थापना और पुस्तकालय सेवा विस्तार हेतु, ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से जैसा विहित किया जाय, योजना तैयार कर निदेशक को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। निदेशक जिला पुस्तकालय प्राधिकरण को ऐसे परिवर्तनों के सम्बन्ध में अपना अभ्यावेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने के पश्चात् ऐसे परिवर्तन के साथ, जिसे वह उचित समझे, योजना को स्वीकृति प्रदान कर सकेगा। तत्पश्चात् जिला पुस्तकालय प्राधिकरण निदेशक द्वारा इस प्रकार स्वीकृत योजना को लागू करेगा।

जिला पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा योजनाएं प्रस्तुत करना

(2) सम्बन्धित जिला पुस्तकालय प्राधिकरण से आवेदन प्राप्त होने पर निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उपधारा (1) के अधीन स्वीकृत योजना को उपान्तरित कर सकता है अथवा उसके स्थान पर नयी योजना स्वीकृत कर सकता है।

16. (1) जिला पुस्तकालय प्राधिकरण सदस्य सचिव की अध्यक्षता में ऐसे सदस्यों की जिन्हें वह उपयुक्त समझे, एक कार्यकारी समिति नियुक्त करेगा तथा अधिनियम के अधीन ऐसी समिति को पुस्तकालय शुल्क के अधिरोपण की शक्ति के अतिरिक्त अचल सम्पत्ति के निस्तारण, आय-व्ययक, प्रतिवेदन, लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पारित करने की शक्तियां तथा कृत्य प्रत्यायोजित करेगा।

जिला पुस्तकालय प्राधिकरण की कार्यकारी समितियां तथा उप समितियां

(2) जिला पुस्तकालय प्राधिकरण किसी संदर्भित ऐसे मामलों की जांच करने, सूचना देने अथवा परामर्श देने के लिए समय-समय उप समितियां भी नियुक्त कर सकेगा।

17. जिला पुस्तकालय प्राधिकरण का कोई भी कार्य केवल इसी कारण से अविधिमान्य न होगा, कि प्राधिकरण में कोई रिक्ति या उसके गठन में त्रुटि विद्यमान थी।

जिला पुस्तकालय प्राधिकरण का किसी कार्य की औपचारिकता पूर्ण न किये जाने के कारण अविधिमान्य न होना

18. धारा 9 की उपधारा (2) के उपखण्ड (क) में परिभाषित लोक पुस्तकालयों के प्रयोजनार्थ जिला पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा किसी क्षेत्र में अर्जित एवं धारित समस्त सम्पत्तियां राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किये जाने पर उस क्षेत्र के जिला पुस्तकालय प्राधिकरण में निहित रहेंगी।

जिला पुस्तकालय प्राधिकरण में सम्पत्तियों का निहित होना

राज्य सरकार की
नियमावली बनाने
की शक्ति

19. (1) साधारणतः अधिनियम के प्रावधानों के निर्वहन हेतु इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार उपविधियां बना सकेगी।

(2) विशेष रूप से तथा पूर्वोक्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी उपविधि द्वारा निम्नलिखित समस्त अथवा किन्हीं विषयों के लिए व्यवस्था कर सकेगी, अर्थात्—

(क) किसी क्षेत्र में लोक पुस्तकालयों में ऐसी शर्तों पर जनता का प्रवेश जो विनिर्दिष्ट की जायं;

(ख) ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग करने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा ऐसे पुस्तकालयों की क्षति अथवा उनके दुरुपयोग, सम्पत्ति नष्ट होने या हानि के प्रति गारंटी अथवा प्रतिभूति प्रस्तुत करना;

(ग) ऐसे पुस्तकालयों की ऐसी सम्पत्ति की क्षति, दुरुपयोग, विनाश तथा हानि से बचाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया निर्धारित करना;

(घ) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों अथवा उपविधियों के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले अथवा अनुपालन न करने वाले किसी व्यक्ति का ऐसे पुस्तकालय से निष्कासन अथवा उसे हटाने के मामले में प्राधिकरण के अधिकारियों और सेवकों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले प्राधिकार;

(च) जिला पुस्तकालय प्राधिकरण की बैठकों को संचालित करना तथा ऐसी बैठकों के कारोबार के संव्यवहार के लिए अपनाये जाने वाली प्रक्रिया तथा किसी बैठक में ऐसे कारोबार के संव्यवहार के लिए गणपूर्ति।

(3) उपधारा (2) के अधीन जिला पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा तैयार उपविधि में निदेशक संशोधन कर सकता है, अथवा उसे निरसित कर सकता है किन्तु उसे संशोधित अथवा निरसित करने से पूर्व निदेशक सम्बन्धित जिला पुस्तकालय प्राधिकरण को इस विषय में प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

अध्याय—4

वित्त एवं लेखा

पुस्तकालय शुल्क
एवं निधियां

20. (1) राज्य सरकार पुस्तकालयों के प्रयोजनार्थ पुस्तकालय शुल्क अधिरोपित कर सकेगी।

(2) राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउन्डेशन, केन्द्रीय सरकार और इसी प्रकार के निकायों से प्राप्त अनुदान के रूप में संग्रहित निधि का उपयोग राज्य के लोक पुस्तकालयों के विकास हेतु किया जायेगा।

(3) प्रत्येक पुस्तकालय प्राधिकरण एक निधि रखेगा, जो "पुस्तकालय निधि" कहलायेगी, जिससे अधिनियम के अधीन होने वाले उसके समस्त व्ययों की पूर्ति की जायेगी।

(4) पुस्तकालय निधि में निम्नलिखित धनराशियां जमा की जायेगी, यथा—

(क) अंशदान, उपहार तथा जिला पुस्तकालय प्राधिकरण को लोक पुस्तकालयों के लाभ हेतु स्थायी निधि से प्राप्त आय;

(ख) पुस्तकालय एवं प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा दिये जाने वाले विशेष अनुदान;

(ग) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों या उपविधियों के अन्तर्गत जिला पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा संग्रहीत अन्य धनराशियां तथा निधियां।

21. (1) सदस्य-सचिव द्वारा जिला पुस्तकालय प्राधिकरण की प्राप्तियों एवं व्यय लेखों का लेखा रखा जायेगा, सचिव द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से अपने वित्त एवं लेखा अनुभाग रख-रखाव के अधीनस्थ कार्मिकों को इस कार्य के लिए लगाया जा सकेगा।

(2) लेखों का निरीक्षण किया जा सकेगा, लेखा परीक्षा अस्वीकृति एवं अधिभार हेतु उपलब्ध होंगे और अन्य सभी प्रकार से उस रीति से सभी व्यवहृत होंगे, जो विहित की जाय।

अध्याय-5

विविध

22. प्रत्येक जिला पुस्तकालय प्राधिकरण अथवा लोक पुस्तकालय के प्रमारी प्रत्येक व्यक्ति समय-समय पर अपेक्षित प्रतिवेदन और विवरणियां तथा सूचनाएं निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को प्रस्तुत करेगा। प्रतिवेदन एवं विवरणियां

23. यह समाधान करने के लिए कि इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों तथा उपविधियों के प्राविधानों का अनुपालन किया जा रहा है, निदेशक अथवा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति किसी लोक पुस्तकालय अथवा उससे सम्बद्ध किसी संस्था का निरीक्षण कर सकेंगे। पुस्तकालय निरीक्षण

24. (1) सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियम बनाने की शक्तियां

(2) विशेष रूप से ऐसे नियमों की पूर्वोक्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित प्राविधान किया जा सकेंगे:-

- (क) नियुक्ति का तरीका, राज्य पुस्तकालय समिति एवं जिला पुस्तकालय प्राधिकरण के सदस्यों का नामांकन और निर्वाचन;
- (ख) जिला पुस्तकालय प्राधिकरण के लेखों का लेखा परीक्षित विवरण तथा लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदनों का प्रकाशन;
- (ग) सहायतित पुस्तकालयों को दिये जाने वाले अनुदान के विनियमन और ऐसे पुस्तकालयों के स्तर को बनाये रखने के लिए पुस्तकालय सहायक अनुदान संहिता का प्रकाशन;
- (घ) राज्य के पुस्तकालयों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों सम्बन्धी राज्य स्तरीय पंजिकाओं का रख-रखाव;
- (च) जिला पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित लोक पुस्तकालयों में आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति और ऐसे पुस्तकालयों में नियुक्त कर्मचारियों का वर्गीकरण, भर्ती के तरीके, वेतन और भत्ते तथा अनुशासनात्मक एवं आचरण और अन्य सेवा शर्तों का विनियमन।

आज्ञा से,

आई० जे० मल्होत्रा,
प्रमुख सचिव।

No. 490/Vidhayee and Sansadiya Karya/2005
Dated Dehradun, April 26, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 349 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttaranchal Public Library Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 19 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 23-04-2005.

THE UTTARANCHAL PUBLIC LIBRARY ACT, 2005

(ACT No. 19 OF 2005)

To make the law relating to the establishment and maintenance of Public Libraries in the Uttaranchal and matters connected therewith and incidental thereto

AN

ACT

Be it enacted by the Uttaranchal Legislative Assembly in the Fifty-sixth Year of the Republic of India, as follows :—

CHAPTER—I

PRELIMINARIES

Short title,
Extent and
Commencement

1. (1) This Act may be called The Uttaranchal Public Library Act, 2005.
- (2) It extends to the Uttaranchal State.
- (3) It shall come into force at once.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires—

- (a) "Recognised Library" means a library declared recognised by the Director in accordance with the rules made under this Act and open for common people;
- (b) "Committee" means the State Library Committee;
- (c) "Director" means the Director of Education;
- (d) "District" means the revenue district;
- (e) "Government" means the State Government of Uttaranchal;
- (f) "Library fee" means the library fee levied, as prescribed by the Government;
- (g) "Notification" means a notification published in the Uttaranchal State Gazette;
- (h) "Prescribed" means prescribed by rules and procedures made under this Act;
- (i) "Public Library" means—
 - (1) A library established or maintained by District Library Authority including the branches and delivery stations of such a library and declared open to use of the Public,
 - (2) A library established or maintained by the Government and declared as public library,
 - (3) A library established or maintained by any local body, or co-operative, and declared as public library,
 - (4) A library declared to be eligible for aid and receiving and kind of financial and books aid from the State Government or from the Library Fund; and includes any other library notified by Government as a public library for the purposes of this Act;

- (j) "State" means th State of Uttaranchal;
 (k) "State Central Library" means a library declared by the Government at the State Central Library;
 (l) "Year" means the financial year.

CHAPTER--II

STATE LIBRARY COMMITTEE

3. (1) As soon as may be, after the commencement of this Act, the Government shall, by notification, constitute for purposes of this Act, a committee to be called the State Library Committee.

Constitutions
and
Composition of
the State
Library
Committee and
its Functions

(2) The Committee shall consist of--

- (a) The Minister Incharge of Education *ex-officio* **Chairman**;
 (b) The Principal Secretary/Secretary to the Government in the Education Department **Vice Chairman**;
 (c) The Secretary, Planning to the Government of Uttaranchal;
 (d) The Secretary, Co-operative & Panchayati Raj to the Government of Uttaranchal;
 (e) The Principal Secretary/Secretary, Finance to the Government of Uttaranchal;
 (f) Director of Higher Education, Uttaranchal;
 (g) Director of Technical Education, Uttaranchal;
 (h) Head, State Level Library;
 (i) One representative of the State Universities nominated by the Vice Chancellor or himself by rotation;
 (j) One of the first enrolled reader members of the State Level Library;
 (k) Two nominated members with special knowledge of matters relating to the libraries in the State;
 (l) Two district library heads nominated by State Government in cyclic order;
 (m) Nominee of Raja Ram Mohan Rai Library Foundation;
 (n) Director, School Education **Member-Secretary**.

(3) The Committee shall advise the Government on all matters arising under this Act and shall exercise and perform such other powers and duties as may be prescribed under the Act.

4. Subject to the provisions of sub-section (2) of section 3, every member of the Committee other than an *ex-officio* member shall hold office for a period of three years from the date of his election or nomination, as the case may be:

Terms of office
of certain
members of the
Committee

Provided that such term of a member nominated, or elected, shall come to an end as soon as the member ceases to be a member of the body from which he was nominated or elected :

Provided further that a member, who is holding office at the commencement of this Act, shall continue to hold office for a period of three years from the date on which he was nominated, elected or co-opted, as the case may be.

5. Any vacancy occurring in the office of a nominated, elected member of the committee before the expiration of his term shall be filled by nomination or election as the case may be, of another person in the manner provided in section 3, and the person nominated, elected shall hold office for the residue of the term of his predecessor.

Filling up of
casual
vacancies of
certain
members of the
Committee

Meeting of the
Committee

6. The Committee shall meet twice every year and can meet any time if required.

Act of State
Library
Committee not
to be
invalidated by
informality, etc.

7. No Act of a State Library Committee shall be deemed to be invalid by reason only of the existence of any vacancy in or any defect in the constitution of that Committee.

CHAPTER-III

CELL/DEPARTMENT OF PUBLIC LIBRARIES WITH IN EDUCATION DEPARTMENT

Constitution of
the Cell of
Public Libraries
in the
Education
Department

8. For the purpose of this Act, the Govt. shall establish a cell of Public Libraries in the Directorate of Education. A Joint/Deputy Director shall be appointed from the posts available in the directorate on the recommendation of the Director of School Education and will be called Officer on Special Duty for Libraries. Who will assist the Director of Education in execution of the following duties :-

- (a) Supervise the State Central Library and the branches of such library;
- (b) Superintend and direct all matters relating to public libraries;
- (c) Declare in accordance with the rules made under this Act, what libraries are eligible for aid from the Government and supervise and direct all matters relating to such libraries;
- (d) Direct and control the work of all District Library Authorities under this Act according to the manner prescribed;
- (e) Assisting Director of School Education in submitting reports on the working of the libraries under this Act to the Government or the State Library Committee;
- (f) Submit reports, on the working of Libraries, whenever necessary;
- (g) Publish annually a bibliography of all the books published in the State or on the State in any language;
- (h) Perform such other duties and exercise such other powers as may be imposed or conferred on him by this Act;
- (i) Arrange for centralized classification, cataloguing, interlibrary loan and co-ordination of book selection and maintenance of copyright registry;
- (j) Assist the Director of School Education, to create and appoint, in accordance with the rules made under this Act, the posts required in the office of District Library Authority and in the public libraries established or maintained by the District Library Authorities.

DISTRICT LIBRARY AUTHORITIES

Constitution
and
Incorporation
of District
Library
Authority

9. (1) For the purposes of organising and administering public libraries in the State, there shall be constituted District Library Authority, one for each of the districts by the name of the district concerned.

(2) Every District Library Authority shall, by the name of the area for which it is constituted, be a body corporate having perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property and to enter into contracts and may by the said name sue and be sued.

(3) It shall be the duty of every District Library Authority to provide library service in the area of its jurisdiction in such a way that after enactment of this Act, to formulate a plan in a phasewise manner to establish a block library as far as possible in every development block, a city/town library in every municipality/town area and a village library in every gram panchayat area as earlier as possible.

10. The District Library Authority for each district shall consist of the following members :-

Composition of District Library Authority

- (a) District Magistrate **Chairperson;**
- (b) Treasury Officer **Member;**
- (c) District Education Officer **Member-Secretary;**
- (d) One from Government Degree College or Post Graduate College shall be nominated by the State Library Committee and one Principal among the Government Polytechnic and Government Secondary School shall be nominated by the concerning Department;
- (e) Two persons who have rendered eminent service to the cause of Education/Public Libraries to be nominated by the State Government;
- (f) One Member elected from amongst themselves by the Pradhans/ Municipal Commissioners of each Block/Municipal Committee;
- (g) One reader member of the district Library;
- (h) The Librarian, District Central Library;
- (i) Librarians of the University/Deemed University Library in the District, if any;
- (j) Member of each of the Department of Information and Judiciary or a member nominated by Bar Association.

11. (1) Every member of District Library Authority, not being the Librarian of the District Library shall hold office for a period of three years from the date of his nomination or election, as the case may be.

Term of office of members of a District Library Authority

(2) Nominated or elected member shall be member of the District Library Authority :

Provided that any such member who is holding office at the commencement of this Act, shall continue to hold office for a period of three years from the date on which he was nominated or elected, as the case may be.

12. (1) A person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of the District Library Authority, if he/she--

Disqualification for being chosen as and for being a member of the District Library Authority

- (a) is or has been sentenced by a criminal court to imprisonment for any offence involving moral turpitude, such sentence not having been reversed or the offence pardoned, and a period of five years has not elapsed from the date of the expiration of such sentence :

Provided that the Government may direct that such sentence shall not operate as a disqualification if he/she--

- (b) is of unsound mind and stands so declared by a competent court Authority;
- (c) applies to be adjudicated as an insolvent or is an undischarged insolvent;
- (d) absents himself from three consecutive meetings without excuse sufficient in the opinion of the District Library Authority to exonerate the absence.

(2) Where a person ceases to be member under clause (d) of sub-section (1), the Secretary shall at once intimate the fact in writing to such person and report the same to the District Library Authority at its next meeting. Where such person applies for restoration of membership to the District Library Authority on or before the date of its next meeting or within fifteen days of the receipt by him of such intimation, the District Library Authority may at the next meeting after the receipt of the application or *suo-moto*, restore him as member thereof: Provided that a member shall not be so restored more than twice during his term of office.

Filling up of casual vacancies of the members of the District Library Authority

13. A vacancy occurring in the office of a nominated or elected member of a District Library Authority before the expiration of his term shall be filled by nomination or election, as the case may be, of another person in the manner provided in section 10 and the person so nominated or elected shall hold office for the residue of the term of his predecessor.

Powers and Functions of District Library Authority

14. A District Library Authority may--

- (a) prepare proposals to provide suitable lands and buildings for public libraries and also the furniture, fittings, materials and conveniences requisite therefore;
- (b) stock such libraries with books, periodicals, newspapers, manuscripts, maps, works and specimens of art and science lantern slides, films, cinema projectors, recorders, CD-ROM's audio-visual material, digital documents and the like within available resources or forward proposals or demand to State Library Committee:

Provided that the books that may be stocked in the libraries shall be selected from the list of books approved from time to time by the Government. A book selection committee shall be constituted for the purpose.

The District Library Authority shall stock also books and periodicals as may be directed, from time to time, by the Government or by an officer authorised by the Government in this behalf, the aggregate value where of shall not be more than 25 percent of the provision made in the budget of that Authority for the purpose of this clause;

- (c) with the previous sanction of the Director, shift or close any public library mentioned in sub-clause (a) of sub-section (9) of section 3, or discontinue aid to any other public library, the payment of which is regulated by rules made under this Act;
- (d) accept any gift or endowment for any purpose connected with its activities, provided that no gift or endowment of an immovable property shall be accepted without the previous sanction of the Government and shall be used for the same library;
- (e) provide for lectures connected with current affairs and matter of public interest;
- (f) with the consent of the management and the previous sanction of the Government or an officer authorised by the Government in this behalf, acquire any library on such conditions as may be approved by the Government or an officer authorised by the Government in this behalf;
- (g) assist public libraries and adult education programmes;
- (h) in general do everything necessary to carry out the provisions of this Act.

Schemes to be submitted by District Library Authority

15. (1) As soon as possible after a District Library Authority is constituted and thereafter as often as may be required by the Director, every District Library Authority shall and whenever it considers it necessary to do so, at District Library Authority may, prepare a scheme for establishing libraries and for spreading library service within its area in such form and manner as may be prescribed, and submit it to the Director for sanction. The Director may sanction it with such alteration, if any, as he may think fit after giving the District Library Authority an opportunity to make its representations, if any, in respect of such alterations and the District Library Authority shall thereupon give effect to the scheme so sanctioned by him.

(2) The Director, School Education may on application by the District Library Authority concerned, modify any scheme sanctioned under sub-section (i) or replace it by a new scheme.

16. (1) A District Library Authority may appoint an Executive Committee under the Chairmanship of Member-Secretary consisting of such of its members as it may deem fit, and delegate to such Committee any of its powers or functions under this Act to dispose of immovable property and to pass the budget, accounts and the audit and annual report, except the power to levy library cess.

Executive Committees and Sub-Committees of District Library Authority

(2) A District Library Authority may also, from time to time appoint sub-committees to inquire into and report or advise on any matters, which it may refer to them.

17. No act of a District Library Authority shall be deemed to be invalid by reason only of the existence of any vacancy in or any defect in the constitution of that authority.

Act of District Library Authority not to be invalidated by informality, etc.

18. All property acquired or held in any area by the District Library Authority for the purpose of any public library defined in sub-clause (a) of sub-section (9) of section 2 shall vest in the District Library Authority of that area.

Vesting of properties in District Library Authority

19 (1) Subject to the provisions of this Act and the Rules made thereunder, State Government may make bye-laws, generally to carry out the purpose of this Act.

Powers of State Govt. to make bye-laws

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power such bye-law may provide for all or any of the following matters, namely—

- (a) The admission of the public to the public libraries in its area on such conditions as it may specify;
- (b) The guarantee or security to be furnished by persons desiring to use such libraries, against injury to or misuse, destruction or loss of the property of such libraries;
- (c) The manner in which the property of such libraries may be protected from the destruction, injury, misuse, or loss;
- (d) The authority to be exercised by its officers and servants in the matter of exclusion or removal from any such library, of any person who contravenes or does not comply with the provisions of this Act or the rules or bye-laws made thereunder;
- (e) The conduct of meeting of the District Library Authority and the procedure to be followed in regard to the transaction of business at such meetings and the quorum for the transaction of such business at a meeting.

(3) The Director may modify or cancel any bye-law made by a District Library Authority under sub-section (2): Provided that before modifying or cancelling any bye-law, the Director shall give the District Library Authority concerned a reasonable opportunity to make its representations in the matter.

CHAPTER-IV

FINANCE AND ACCOUNTS

20. (1) The State Government shall impose fee for the purposes of libraries.

Library Fee and Library Fund

(2) Funds collected as grant from Raja Ram Mohan Ray Library Foundation, Central Government and similar bodies will be used for the development of Public Libraries in the State.

(3) Every District Library Authority shall maintain a fund called the "Library Funds" from which all its expenditure under this Act shall be met.

- (4) There shall be credited to the Library Fund the following sums, namely--
- (a) Contributions, gifts and income from endowments made to the District Library Authority for the benefit of public libraries;
 - (b) Special grants which the Government may make for any specified purpose connected with libraries and adult education;
 - (c) Funds and other amounts collected by District Library Authority under any rules or bye-laws made under this Act.

Maintenance of
Accounts

21. (1) An account shall be kept of the receipts and expenses of each District Library Authority by the Member-Secretary. The Secretary may engage his subordinates of finance and accounts section for this purpose by prior permission of the Chairperson.

(2) The accounts shall be open to inspection, shall be subject to audit, disallowance and surcharge and shall be dealt with in all other respects in such manner, as may be prescribed.

CHAPTER-V MISCELLANEOUS

Reports and
Returns

22. Every District Library Authority and every person Incharge of a Public Library shall submit such reports and returns and furnish such information to the Director or any person authorized by him in this behalf, as the Director or the person authorized may from time to time require.

Inspection of
Libraries

23. The Director or any person authorized by him in this behalf, may inspect any Public Library or any institution attached thereto for the purpose of satisfying himself that the provisions of this Act and the rules and bye-laws made thereunder are carried out.

Power to Make
Rules

24. (1) The Government may, by notification, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may provide for --

- (a) the method of appointment, nomination or election of members to the State Library Committee and District Library Authority;
- (b) the publication of audited statements of the accounts of District Library Authority and of the reports of the auditors;
- (c) the publication of a Library Grant-in-aid Code, regulating the grant of aid to aided Libraries and the standards to be maintained by such Libraries;
- (d) the maintenance of the State Registers of Libraries, and Librarians;
- (e) the employment of necessary staff for the Public Libraries maintained by a District Library Authority and for regulating the classification, methods of recruitment, pay and allowances, discipline and conduct and other conditions of service of the staff employed in such libraries.

By Order,

I. J. MALHOTRA,
Principal Secretary.